406
14/9/12

खण्ड : 12 संख्या : 4, 5, 6

नवम् बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(द्वादश् सत्र)

(भाग-1 कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

सत्यमेव जयते

मंगलवार, दिनांक : 4 जुलाई 1989 ई०
बुधवार, दिनांक : 5 जुलाई 1989 ई०
वृहस्पतिवार, दिनांक : 6 जुलाई 1989 ई०

प्रभारी मंत्री, योजना एवं विकास विभाग-(1) उत्तर स्वीकारात्मक पर नियुक्त व्यक्तियों की संख्या 12 नहीं वरन् 17 थीं।

(2) उत्तर स्वीकारात्मक है, पर जिन अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र पर्षद द्वारा वापस मांगे गये थे उनकी संख्या 16 थी, न कि 12 ।

(3) श्री अनिल कुमार सिन्हा नामक कोई अभ्यर्थी अवर सेवा चयन पार्षद द्वारा सांख्यिकी निदेशालय में संकलन पद के लिए अनुशंसित नहीं था । अतः इसे नियुक्त अथवा विरमित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

यह सही है कि सांख्यिकी निदेशालय के पत्रांक 759, दिनांक 4 अप्रैल 1987 द्वारा 11 व्यक्तियों के आवेदन-पत्र अवर सेवा चयन पार्षद की इस शर्त के साथ वापस किये गये कि यदि वे सहकारिता विभाग में चयनोपरान्त नियुक्त होंगे, तो निदेशालय से उन्हें त्याग-पत्र देना होगा ।

(4) राज्य सरकार सम्बद्ध संकलों को इस्तीफा देने के शर्त्तों से विमुक्त नहीं करना चाहती, क्योंकि दूसरे विभाग में उच्चतर पद पर नियुक्ति की अनुशंसा के फलस्वरूप सांख्यिकी निदेशालय में उनकी नियुक्ति की अनुशंसा स्वतः समाप्त हो गई है ।

श्री मिश्रा के स्थानान्तण आदेश को कार्यान्वयन नहीं करने का औचित्य

ज्ञ-408. श्री नलिनी रंजन सिंह-क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय से कार्यरत लिपिक श्री रमेन्द्र प्र. मिश्र भोजपुर जिला अनुसचिवीय कर्मचारी संघ के सचिव है;

(2) क्या यह बात सही है कि श्री मिश्रा का स्थानान्तरण क्षेत्रीय उपशिक्षा निदेशक, पटना के पत्रांक-2829, दिनांक 21 नवम्बर, 1986 द्वारा बक्सर (भोजपुर) में किया गया।

(3) क्या यह बात सही है कि श्री मिश्रा ने मुख्य सचिव के परिषद 5070 दिनांक 17 सितम्बर, 1986 के आलोक में संघ के पदाधिकारियों की मुख्यालय में रहने संबंधी प्रावधान के अनुशरण में दिनांक 23 नवम्बर, 1986 को निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को आवेदन दिया है;

(4) क्या यह बात सही है कि मंत्री, शिक्षा ने फरवरी, 1987 में ही श्री मिश्रा के उक्त स्थानान्तरण आदेश को रद्द करने का आदेश दे दिया था, जिसका कार्यान्वयन अभी तक नहीं किया गया है । यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है?

प्रभारी मंत्री, मा. सं. विकास विभाग- (1) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(2) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(3) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(4) श्री मिश्र का स्थानान्तरण आरा के अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में संघीय कार्यो को करने निमित्त आरा में ही कर दिया गया है ।

श्री झा द्वारा अनियमित नियुक्ति को रद्द करना

ज्ञ-231. **श्री नवल किशोर शाही**-क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(1) क्या यह बात सही है कि डा. के. के. झा जिला वयस्क शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर विगत छः वर्षो के कार्यकाल